प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
ग्राम्य विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार/समाज कल्याण/नियोजन/राजस्व/वित्त/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम/कृषि/दुग्ध विकास/मत्स्य/पशुधन/सिंचाई एवं जल संसाधन/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/ गृह/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/परती भूमि विकास तथा युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. **समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक–20 सितम्बर, 2023

**विषयः– पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स (पी.डी.आई.) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एम.–11015/171/2023–सी.बी.–पार्ट(1), दिनांक 01 सितम्बर, 2023 **(छायाप्रति संलग्नक:1)** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023 तक सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति आयोग, समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनाए गए 09 विषयगत दृष्टिकोणों के विषय में अवगत कराते हुए सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के क्रियान्वयन के निर्देश निर्गत किए गए है।

2. उक्त पत्र एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 09 सहयोगी मंत्रालय के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 31 अगस्त, 2023 **(छायाप्रति संलग्नक: 2)** को निर्गत एडवाइजरी द्वारा पंचायतों के माध्यम से एल.एस.डी.जी. की प्रगति के आंकलन तथा पंचायत स्तर पर प्रमाण–आधारित नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स (www.pdi.gov.in) को लागू किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

3. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहु–आयामी वार्षिक प्रक्रिया होगी, जिसमें पंचायत स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों यथा–स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, बैंकिग, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगार, तथा इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर आधारभूत गुणवत्तापरक 577 इंडीकेटर पर डाटा संकलन तथा उनका विभिन्न स्तर पर सत्यापन एक महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य होगा, जिसमें ग्राम पंचायतों के कार्यप्रदर्शन द्वारा उक्त क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आंकलन किया जा सकेगा।

4. उक्तानुसार वर्ष में एक बार इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों में क्रिटिकल गैप का चिन्हांकन कर बेहतर नियोजन, विशेषकर पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं सहभागी एवं समन्वित रूप से तैयार किया जाना सम्भव हो सकेगा। यह इंडेक्स समस्त विभागों एवं मंत्रालयों के लिए प्रगति के आंकलन हेतु कॉमन रिसोर्स बेस होगा एवं इस आधार पर क्षेत्र एवं जिला पंचायतों को भी अधिक संवेदित कार्ययोजना बनाने का अवसर मिल सकेगा।

5. अतः उक्तानुसार राज्य, मंडल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतों में पी.डी. आई. के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु **निम्नानुसार समिति का गठन एवं दायित्वों** का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

(1) **''राज्य स्तरीय पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कमेटी''** (एस.पी.डी.आई.सी.):

| क्र0 | पदनाम | विभाग | समिति में स्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन। | — | अध्यक्ष |
| 2 | कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन। | — | उपाध्यक्ष |
| 3 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, | पंचायती राज विभाग | सदस्य सचिव |
| | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव | नियोजन | सह सचिव |
| 4 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा भाग न लिये जाने की स्थिति में नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो। | ग्राम्य विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार/समाज कल्याण राजस्व/वित्त/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम /कृषि/दुग्ध विकास/मत्स्य/ सिंचाई एवं जल संसाधन/पशुधन/ आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/ गृह/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/परती भूमि विकास तथा युवा कल्याण | सदस्य |
| 5 | महानिदेशक/निदेशक | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं पंचायती राज विभाग, उ0प्र0। | सदस्य |
| 6 | प्रतिनिधि | यूनिसेफ एवं सी–3, उ0प्र0। | सदस्य |
| 7 | अन्य महत्वपूर्ण विभाग | अध्यक्ष की अनुमति से | सदस्य |

**राज्य स्तरीय समिति के कार्यः**

- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन।
- विभागीय समन्वयन के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 09 थीमेटिक श्रेणी के निर्धारित संकेतकों की प्रगति का अनुश्रवण।

- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निराकरण एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सुझाव।
- समिति की बैठक वर्ष में 01 बार अथवा तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप **करायी जाएगी।**

## (2) "जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति"(डी.आई.सी.सी.):

शासनादेश सं0: 2618/सी.एस./33-3-2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 **(छायाप्रति संलग्नक: 3)** द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति को निम्नानुसार संशोधित करते हुए विस्तारित किया जाता है एवं उक्त समिति ही पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स हेतु जनपद स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगी:

| क्र0 | पदनाम | विभाग | समिति में स्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी | – | अध्यक्ष |
| 2 | वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, | गृह विभाग/पुलिस | सदस्य |
| 3 | मुख्य विकास अधिकारी | – | उपाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी, पी.डी. आई |
| 4 | अपर जिलाधिकारी-एफ.आर. | राजस्व | सदस्य |
| 5 | मुख्य चिकित्साधिकारी | स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 6 | जिला विकास अधिकारी | – | सदस्य |
| 7 | परियोजना निदेशक | जिला ग्रामीण विकास अभिकरण | सदस्य |
| 8 | जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | सह सचिव |
| 9 | जिला पंचायत राज अधिकारी | पंचायती राज विभाग | सदस्य सचिव |
| 10 | जिला स्तरीय अधिकारी | बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा | सदस्य |
| 11 | जिला स्तरीय अधिकारी | समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, पिछड़ा कल्याण | सदस्य |
| 12 | जिला स्तरीय अधिकारी | खाद्य, आपूर्ति एवं विपणन | सदस्य |
| 13 | जिला स्तरीय अधिकारी | बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं महिला कल्याण | सदस्य |
| 15 | जिला स्तरीय अधिकारी | वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | सदस्य |
| 16 | अधिशासी अभियन्ता | जल निगम, विद्युत, सिचाई | सदस्य |
| 17 | जिलास्तरीय अधिकारी | कृषि, मत्स्य, पशुपालन, दुग्ध | सदस्य |
| 18 | जिलास्तरीय अधिकारी | युवा कल्याण | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | जिला स्तरीय अधिकारी | मनरेगा, आजीविका, कौशल, लघु एवं मध्यम उद्योग | सदस्य |
| 20 | लीड बैंक मैनेजर | बैंकिग | सदस्य |
| 21 | अन्य महत्वपूर्ण विभाग | अध्यक्ष की अनुमति से | सदस्य |

**जनपद स्तरीय समिति के कार्यः**

- ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत शासनादेश दिनांकः 29 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त पंचायतों में सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का कियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन।
- विभागीय समन्वयन के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 09 थीमेटिक श्रेणी के निर्धारित संकेतकों की प्रगति का अनुश्रवण।
- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निराकरण एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सुझाव।
- खण्डस्तर से प्राप्त डाटा का पोर्टल पर डाटा सत्यापन का कार्य।
- समिति की बैठक 02 माह में 01 बार आवश्यक रूप से।

(3) **"खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति"''(बी.आई.सी.सी.):**

शासनादेश सं0: 625/33-3-2016-10जी.आई./2015, दिनांक 09 मार्च, 2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक-14 मार्च, 2016 (**छायाप्रति संलग्नकः 4**) द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति को निम्नानुसार संशोधित करते हुए विस्तारित किया जाता है एवं उक्त समिति ही पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स हेतु जनपद स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगीः

| क्र0 | पदनाम | विभाग | समिति में स्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | खण्ड विकास अधिकारी | – | अध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी, पी.डी.आई |
| 2 | चिकित्साधिकारी | स्वास्थ्य | सदस्य |
| 3 | चिकित्साधिकारी | पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 4 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, | आई.सी.डी.एस. | सदस्य |
| 5 | खण्ड शिक्षा अधिकारी | शिक्षा | सदस्य |
| 6 | अवर अभियन्ता | विद्युत / सिचाई / लघु सिंचाई / आर.ई.डी. / जलनिगम | सदस्य |
| 7 | सहायक विकास अधिकारी | साख्यिंकी | सदस्य सचिव |
| 8 | सहायक विकास अधिकारी | पचायती राज | सह सचिव |
| 9 | खण्ड स्तरीय अधिकारी | खाद्य एवं आपूर्ति | सदस्य |
| 10 | सहायक विकास अधिकारी | कृषि, कोऑपरेटिव, समाज कल्याण, आई.एस.बी., महिला कल्याण | सदस्य |
| 11 | खण्ड स्तरीय अधिकारी | एम.जी.नरेगा, एस.आर.एल. एम., | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | खण्ड स्तरीय अधिकारी | गृह(पुलिस) | सदस्य |
| 13 | खण्ड स्तरीय अधिकारी | वन | सदस्य |
| 14 | अन्य महत्वपूर्ण विभाग | अध्यक्ष की अनुमति से | सदस्य |

**खण्ड स्तरीय समिति के कार्यः**

- ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत खण्ड स्तर पर उक्त शासनादेश से निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त पंचायतों में सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का कियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन।
- विभागीय समन्वयन के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 09 थीमेटिक श्रेणी के निर्धारित संकेतकों की प्रगति का अनुश्रवण।
- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निराकरण एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सुझाव।
- ग्राम पंचायतों से प्राप्त डाटा का पोर्टल पर डाटा सत्यापन का कार्य।
- समिति की बैठक माह में 01 बार अवश्य की जाय।

6. **प्रत्येक स्तर से की जाने वाले कार्यवाही का विवरण एवं दायित्वः**

ग्राम पंचायतों द्वारा मैप किए जाने वाले 577 इंडीकेटर में सतत् विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में उल्लेखित 146 इंडीकेटर से श्रेणीबद्व (Aligned) है, जिसमें 403 कॉमन (अनिवार्य), 86 विशिष्ट (वैकल्पिक) एवं 88 इंडीकेटर की पुनर्रावृत्ति है। राज्य/जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर समस्त इंडीकेटर की मैपिंग एवं डाटा सत्यापन करते हुए डाटा की फ्रीजिंग का कार्य प्रत्येक स्तर पर लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से 31 अक्तूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना है। **(विभागवार दायित्व एवं समय–सीमा संलग्नक–5)**

7. **ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहीः**

- ग्राम पंचायतों द्वारा 10 अक्तूबर तक फैसीलिटेटर चयन को अंतिम रूप देते हुए पी.डी. आई. पोर्टल पर लॉगिन आई.डी. के माध्यम से उनको पंजीकृत किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त विभागों के साथ बैठक का आयोजन कर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स डैशबोर्ड में प्रदर्शित विभागवार इंडीकेटर पर 15 अक्तूबर, 2023 तक डाटा संग्रहण का कार्य कर 20 अक्तूबर, 2023 तक फ्रीजिंग का कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।
- पी0डी0आई0 का क्रियान्वयन एवं पोर्टल पर ऑकड़ों का अंकन ग्राम पंचायत एवं कार्यरत् समस्त विभागों के कर्मियों का दायित्व होगा।
- पी.डी.आई. डैशबोर्ड पर अपनी प्रगति रैकिंग के आधार पर गैप पर लाइन स्तरीय कर्मियों के साथ प्रगति सुधार का कार्य किया जाएगा।

8. **फैसलिटेटर का चयनः**

ग्राम पंचायत द्वारा फैसीलिटेटर चयन का कार्य किया जाएगा। फैसीलिटेटर एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्य कर सकेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों को वरीयता दी जाएगी। फैसीलिटेटर को मानदेय ग्राम पंचायत की

23

आबादी के आधार पर किया जायेगा। पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार फैसीलिटेटर के मानदेय का निर्धारण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की प्रकिया में सहयोग देते हुए निर्धारित समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 20-09-2023 12:30:59
Reason: Approved

**(दुर्गा शंकर मिश्र)**
मुख्य सचिव।

**<u>संख्या व दिनांकः तदैव।</u>**

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

20.9.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक -1

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
सचिव
Sunil Kumar, IAS
Secretary

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

D.O.No. M-11015/171/2023-CB-Part(1)

September 01, 2023

**Dear Chief Secretary**

Ministry of Panchayati Raj is taking a leadership role in the process of Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs) involving Central Ministries / Departments, State Government, NITI Aayog and Panchayati Raj Institutions (PRIs) by evolving 9 thematic approaches to attain SDGs in rural areas.

2. With an aim to assess and measure the progress of implementation of Localization of SDGs for evidence-based planning and development at the grassroots, the Ministry has prepared a report on Panchayat Development Index (PDI), which was released in the National Workshop on 28th June 2023. **PDI report is enclosed for your perusal.** Report is **also available on Ministry website at URL**: https://panchayat.gov.in/pdi-committee-report-2023/. PDI Report illustrate different mechanisms for calculation of scores across various local indicators of 9 themes. PDI is a multidimensional assessment index which measures the progress of Panchayats towards the attainment of LSDGs.

3. A National Write-Shop on PDI was also organized on 10-11 August 2023 at Delhi, wherein orientation and hands-on practice was carried out by the representatives of the States/UTs on PDI Portal (www.pdi.gov.in) to facilitate collection, compilation & processing of data related to health, education, and women development, agriculture, animal husbandry, accounts, land, SHG, rural housing, employment and infrastructure etc., from field offices of the Line departments. Data of GP entered online in the portal will be subjected to rigorous validation at different levels – from GP to State – beforecomputation of thematic and composite PDI scores.

4. You would appreciate that quality data is foundation for preparation of Baseline Report and computation of PDI. The entire computation exercise requires collection and maintenance of data sets andpro-active participation of Union Ministries/Departments and State Departments will, undoubtedly, be critical for implementing PDI framework by facilitating quality data collection & validation for preparation of thematic and composite PDI scores is, accordingly, being sent separately for your consideration.

5. For PDI 2023-24, the Baseline Report will be prepared based on the data available as on 31st March, 2023. As our Nation is committed to achieving SDGs by 2030, Baseline Report of the PDI will, definitely, serve as a benchmark for the Ministry/Department in monitoring and evaluation of the progress made in achieving the concerned targets of the SDGs aligned to different flagship schemes/program and through Localized SDGs.

6. To ensure success of this initiative and to give impetus to structured quantified evaluation mechanism for developmental progress, significant efforts would be required for capacity building at different levels involving other stakeholders. Indeed, as advised and requested during the national Write-shop, States /UTs may organize the State Level

contd...2/-

Tel.: 011-23389008, 23074309 • Fax: 011-23389028 • E-mail: secy-mopr@nic.in

Workshop/Write-shop involving all the stakeholders from different line departments and State Technical Team. **The State level Workshop can be organized before September 15, 2023, so that the GP level Data Collection and entry is completed by September 25, 2023, and validation process can start thereafter and completed by October 25, 2023**. State Write-shop/workshop will provide an opportunity to the Departments and other stakeholders to share their preparedness and strategic institutional mechanisms and plan of action in collection of data points from different sources of field offices and frontline workers of the line departments.

7. Further, it would be essential to assign clear cut roles to the officials/PRIs/ stakeholders at all level as well as **to appoint a State Nodal Officers for PDI**. It would also be imperative to **constitute Steering Committee at the State level** with representation of the Senior Officers of the key line departments and **Monitoring and DataValidation Committees at District, Sub-Division & Block level** comprising of officers from Line Departments at District, SDM & Block level, with key role of officers of Planning and Statistics Department for validating the accuracy & quality of data captured from the field offices of the line departments.

8. To ensure clarity and uniformity in the process of PDI preparation, abrief on State Strategic Institutional Arrangements and Data Validation Mechanism to take forward the PDIis at **Annexure-I**.Composition of State Level Steering Committee/State Data Validation Committee and broad structure and roles of the Monitoring and Data Validation Committees at the District, Sub-District and Block Level is at **Annexure-II**. At the same time, **Annexure-III** contains the suggested role assignment of different stakeholders.

9. I, therefore, would like to request your personal intervention in getting the orders issued for appointment of a State Nodal Officer for PDI, constitution of State Level Steering CommitteeState Data Validation Committee for PDI, and constitution of Monitoring and Data Validation Committees at District, Sub-District and Block Level.

10. Evidence-based planning at all levels and assessment of developmental progress through Panchayat Development Index (PDI) can be attained only through collective and collaborative efforts of the State Line departments, Panchayati Raj Institutions and other stakeholders. I am sure that with your guidance and leadership will help in successfully undertaking the endeavor to its logical conclusion.

Yours sincerely,

1.9.23

**(Sunil Kumar)**

**To: The Chief Secretary**
(All States/UTs)

**Copy to: Addl. CS /Pr. Secretary/Secretary, Panchayati Raj Department**
(All States/ UTs)

Annexure I

## Brief on Strategic Institutional Mechanisms to take forward the PDI

1. **Institutional mechanism**
   a) Formation of State Steering Committee
   b) Identification of Nodal Officers at State / District/ Block of line departments
   c) Constitution of District and Block Level Steering and Validation Committee
   d) Instructions/ Advisories by different line departments down the line
   e) Appointment of State Nodal Officer for PDI

2. **Implementing mechanism**
   a) State Write-Shop on Panchayat Development Index Portal and process of data collection and validation for preparation of Baseline Report of PDI
   b) Consultative Meeting with concerned key line departments in identification of the sources of the data points on each local indicators and mapping of data points from respective field offices
   c) Handholding, Capacity Building and Training to the Nodal Officers, other Officials/ stakeholders on PDI.
   d) Translation of the local indicators in regional language for easy understanding.
   e) Convergent planning, implementation and monitoring at different level on data sharing and ease of data collection.
   f) Involvement of domain experts from INGOs, NGOs and Academic Institutions to augment the State efforts.
   g) Preparation of Baseline Report of PDI
   h) Incentivization of Panchayats based on Baseline Data of PDI
   i) Document the progress in GPs on the LIF
   j) Preparation of Panchayat Development Plan based on

3. **Monitoring & Validation Mechanism**

   a) Strategic mechanism for capturing Data from various sources at field level.
   b) Data validation by respective Nodal Officers of the Line Departments at Block & District Level
   c) Establishment of standardization and validation system at different level
   d) Support GPs in reviewing & monitoring the current status of the local indicators of 9 themes and setting local actionable points in convergent mechanisms.
   e) Assess the progress of GPs on thematic scores of PDI.
   f) Road Map for policy formulation based on PDI for evidence-based planning to achieve the LSDGs.

4. **Capacity Building & Training**

   a) Training of Elected Representatives & Functionaries of the Panchayats and frontline workers of the line departments
   b) Handholding Training of the Facilitator engaged for data capturing from different field offices.
   c) Development of Training Modules in local language by SIRDs.

**Annexure -II**

A. **State Level Steering Committee**

- Steering Committee constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary for the Localization of the Sustainable Development Goals in Panchayat comprising of members from the key line departments & other stakeholders will also work as State level Steering Committee for Planning and Monitoring of the Quality Data for preparation of Baseline Report &computation of Panchayat Development Index (PDI).
- PDI Steering Committee will develop strategies on sound validation process to develop credibility to the entire data collection process and institution of PDI.
- **State Data Validation Team**: A Sub-Committee of the State Steering Committee comprising of Senior Officers from Departments of Panchayati Raj & Rural Development, Planning, Statistics, Monitoring and Implementation will validate the accuracy & quality of data captured from the field offices of the line departments and received from District Validation Team.
- State Team will configure field offices for data collection and line departments offices for validation at block level in consultation with line departments.
- State Team can revert the data to District Team in case of any disagreement with the quality of field data for reconfirmation by GP.
- State Team will supervise the data collection from different sources at Panchayat level and
- Finalization & locking of the Data at State level will be done by the State Team

B. **District Level Monitoring Committee**

- District Level Monitoring Committee will be chaired by District Magistrate with CEO, Zilla Parishad/Chief Development Officer as Member Secretary and District Statistical Officer and Nodal Officers of the Line Departments as Members for monitoring the data collection and monitoring the data collection process to ensures data quality.
- **District Data Validation Team**: A Sub-Committee of the District Monitoring Committee under the Chairpersonship of CEO, Zilla Parishad/Chief Development Officer with District level Statistics Officer as Member Secretary will carry out data validation of the data received from the Block level .validate the GP wise data received from BDOs.
- District Team can revert the data to Block Team in case of any disagreement for reconfirmation by GP.
- Once entire data set of a GP is validated, District Team will submit to State Team for final validation.

C. **Sub-Divisional Level Monitoring Committee**

- Sub-Divisional Magistrate/ Officers will be chairperson to the Sub-Divisional Level Monitoring Committee. BDO concerned shall be the Convenor/Member Secretary

of the Committee. If there are more than one Block in a Sub-Division, then each will be convenor/Member Secretary of the Committee for their own Block.

- The SDM/SDO will give strategic direction to the Block level Offices, Officers of the line departments and Block Development Officers to ensure quality and accuracy of data collected from the field offices /institutions.
- The SDM/SDO will review and monitor the entire process of data collection and validation process at the Block level.
- SDM/SDO will help in faciliatating the data collection at GP level from the Line Department. The Block Heads will persoanlly monitor the data collection exercise with respect to their Department and ensure that correct data is provided by their field units.
- During the period of data collection and then validation at Block level, at least one meeting will be conducted by the SDM.

D. **Block Level Data Validation Mechanism**

- BDO and Heads of Line Departmentat Block level to validate the GP wise data mapped to their Department.
- In case of disagreement data points, such data points can be revertedto GP for reconfirmation.
- Only those data points which have been reverted to GP can be edited or revalidated by the GP after placing them before the Members of Panchayat and getting approved.
- Once entire data set of a GP is validated by BDO/Head of Line Department at Block level, they will submit it on portal for final validation/aggregation and submission by the BDO.
- BDO will validate aggregate/validate GP wise data in consultation with Block Statistics Officer / Technical Officer and submit to District on portal for validation at the District level.
- BDO will engage *Vikas Sahayak*/ Facilitator designated for collection of data from different field offices/institutions and entry of the data. *Vikas Sahayak*/Facilitator can be a Panchayat/Government Official, contractual staff, professional data collection agent deployed by an agency outsourced by the State for this purpose.
- BDO will coordinate with all concerned Departments at the Block level and convenethe SDM level meetings with the block heads of the line departments to nudge them in facilitating the frontline workers of the line departments for providing the administrative data to the *Vikas Sahayak* /Facilitator.
- BDO will review and monitor the progress of the GPs in data collection and thereafter holding of Gram Sabha and placing the data collected before the Gram Sabha for approval and then submission of the same on the portal by the Panchayat Secretary/PDO.

**Annexure-III**

**Role Assignment of Stakeholders at Different Levels**

| | |
|---|---|
| **Data Source Validation Team** | 1. Identification of data points available with/at Gram Panchayat<br>2. Identification Registers / Formats where data points would be available.<br>3. Identification of Data points to be collected through survey. |
| ***Vikas Sahayak/* Facilitator** | 1. Visit to the institutions (AWC/PHC/Schools etc.) for data collection.<br>2. Get the duly authenticated data in hard copy.<br>3. All Line Departments to facilitate data collection.<br>4. Enter the data into Portal with due care & upload the pdf of hard copy.<br>5. Submit the completed form to GP Secretary/PDO |
| **Gram Panchayat Secretary** | 1. Download the copy of uploaded form from portal and<br>2. Place before the Gram Sabha for approval<br>3. Upon approval of GS, submit on portal for Block Level Validation/ Scrutiny. |
| **Block Level Officers/ Team** | 1. BDO and Heads of Line Departmentat Block level to validate the GP wise data mapped to their Department.<br>2. In case of disagreement data points can be reverted to GP for reconfirmation<br>3. Once entire data set of a GP is validated, submit to BDO for final validation.<br>4. BDO to validate GP wise and submit to District Team |
| **District Team** | 1. District Team to validate the GP wise data received from BDOs.<br>2. If disagreement, data points can be reverted to Block for reconfirmation by GP.<br>3. Once entire data set of a GP is validated, submit to State Team for final validation. |
| **State Team** | 1. State Team to validate the data received from District.<br>2. If disagreement, data points can be reverted to District for reconfirmation by GP.<br>3. Upon validation of entire data set of a GP, submit for scoring. |

संलग्नक - 2

**Sunil Kumar**
Secretary
**Ministry of Panchayati Raj**

**Indevar Pandey**
Secretary
**Ministry of Women & Child Development**

**Sanjay Kumar**
Secretary
**Department of School Education & Literacy**

**Sanjeev Chopra**
Secretary
**Department of Food & Public Distribution**

**Sudhansh Pant**
Secretary
**Department of Health & Family Welfare**

सत्यमेव जयते

**Vini Mahajan**
Secretary
**Department of Drinking Water & Sanitation**

**Alka Upadhyay**
Secretary
**Department of Animal Husbandry & Dairying**

**Manoj Ahuja**
Secretary
**Department of Agriculture and Farmers Welfare**

**Shailesh Kumar Singh**
Secretary
**Department of Rural Development**

D.O. No. M-11015/171/2022-CB

Dated: 31st August, 2023

**Dear Chief Secretary,**

As you are aware, India is a signatory to the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals and is committed to achieve the 17 Goals and 169 Targets for people-centric and holistic development with active involvement of Central Ministries/ Departments, NITI Aayog, State Government, UN Agencies and Panchayati Raj Institutions (PRIs) through strategic planning and approaches with the motto of Leaving No One Behind through 'Whole of Government' and 'Whole of Society' approach.

2. Panchayats being pivotal in achieving the SDGs in rural areas, Ministry of Panchayati Raj has initiated a thematic approach by aggregating 17 SDGs into 9 broad themes to localize the SDGs at grass-roots level through Panchayats.

3. While SDGs India Index developed by NITI Aayog measures SDGs progress across States using select indicators from the National Indicator Framework, till recently no mechanism had been in place for measuring the progress of Localized SDGs (LSDGs) made by the Panchayats.

4. The Ministry of Panchayati Raj with cooperation from all the concerned Ministries has, developed the mechanism for measuring the progress of Panchayats in achieving the LSDGs along 9 individual themes as well as computing the composite progress as an aggregate of 9 themes. This can now be done using the mechanism of computing Panchayat Development Index (PDI) for measuring thematic progress and holistic development in rural areas. The PDI Report is available on the Ministry's Website at URL: https://panchayat.gov.in/pdi-committee-report-2023/.

5. PDI will assess the performance of Panchayats on measurable indicators of Local Indicator Framework (LIF) and help the Panchayat in evidence-based planning for outcome-oriented development goals at Panchayat & set their local targets in achieving the LSDGs.

contd...2/-

6. PDI will also play a significant role in monitoring the incremental progress through the scores achieved by the Panchayat and grade them based on their performance towards the achievement of LSDGs. PDI is the report card of progress of Panchayats and scales up the visibility of development at the grassroots.

7. Since, PDI is a data intensive work, quality data is the foundation for preparation of the Baseline Report and its computation. The entire computation exercise requires the collection and maintenance of data sets. Gram Panchayat and Field Offices/ Institutions of the line department maintain village-level data collected by the frontline workers of the line departments in different registers/formats. Thus, there is a heavy reliance on data from multiple sources due to the wide range of local indicators required to cover the LSDGs. Perhaps, the role of Line Ministries/Departments is of utmost importance in data sharing, and checking its accuracy and reliability.

8. The baseline report of the PDI will serve as a benchmark to support the Ministry/Department in monitoring and evaluating the progress made in achieving the concerned towards targets of the SDGs over successive years. The Baseline Report will also help the Panchayat to see the current status of local indicators of themes, map the progress and prepare local action to achieve local targets with support from line departments and other key stakeholders. Thus, PDI will pave the path for evidence-based local planning & preparation of comprehensive and inclusive Panchayat Development Plan (PDP) by converging different resources through structured institutional mechanisms involving all stakeholders.

9. Indeed, NIC MoPR has also developed a database management application and PDI Portal with URL: www.pdi.gov.in for capturing the data points related to health, education, and women development, agriculture, animal husbandry, accounts, land, SHG, rural housing, employment and infrastructure etc., from different sources of field offices of the line department on each indicator. The facilitator appointed by Block at the GP level will visit the field offices/institutions of the line departments and collect the necessary information on each data point in prescribed formats from the frontline officials of the key line departments which will then be entered into the PDI Portal for further validation and processing at the GP, Block, District and State level. Baseline Report of the PDI 2023-24 will be based on the data as of 31st March, 2023.

10. We believe that the active participation of the frontline workers & key officials of the line departments would be essential in preparation of the baseline report of PDI, which would help to develop a data eco system for reviewing & monitoring the progress of SDGs in rural area.

11. It would also be helpful if the States/UTs organise consultative write-shop/ workshops with participation from the nodal line departments at the earliest for creating enabling environment and developing structured mechanism& approaches for ease of data collection and validation process.

contd...3/-

12. Necessary directions may, therefore, be issued to the line departments and Department of Statistics to ensure participation and collaboration of their frontline workers and officials in State level write-shops/workshops, data collection and data validation for setting up an institutional framework to drive the 2030 Agenda and drilling the localisation of SDGs at the grassroots level. Department of Statistics and their team of trained officers may be assigned the task to ensure quality of data.

With best wishes,

Yours sincerely,

**(Vini Mahajan)**
**Department of Drinking Water & Sanitation**
**Ministry of Jal Shakti**

**(Indevar Pandey)**
**Ministry of Women & Child Development**

**(Sunil Kumar)**
**Ministry of Panchayati Raj**

**(Sanjay Kumar)**
**Department of School Education & Literacy,**
**Ministry of Education**

**(Alka Upadhyay)**
**Department of Animal Husbandry & Dairying**
**Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying**

**(Sanjeev Chopra)**
**Department of Food & Public Distribution,**
**Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution**

**(Manoj Ahuja)**
**Department of Agriculture and Farmers Welfare**
**Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**

**(Sudhansh Pant)**
**Department of Health & Family Welfare**
**Ministry of Health & Family Welfare**

**(Shailesh Kumar Singh)**
**Department of Rural Development**
**Ministry of Rural Development**

To,

**The Chief Secretaries,**
All States/UTs

Copy to: Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, All Related Departments, All States/ UTs

Sunil Kumar
Secretary
Ministry of Panchayati Raj

Indevar Pandey
Secretary
Ministry of Women & Child Development

Sanjay Kumar
Secretary
Department of School Education & Literacy

Sanjeev Chopra
Secretary
Department of Food & Public Distribution

Sudhansh Pant
Secretary
Department of Health & Family Welfare

सत्यमेव जयते

Vini Mahajan
Secretary
Department of Drinking Water & Sanitation

Alka Upadhyay
Secretary
Department of Animal Husbandry & Dairying

Manoj Ahuja
Secretary
Department of Agriculture and Farmers Welfare

Shailesh Kumar Singh
Secretary
Department of Rural Development

D.O. No. M-11015/171/2022-CB

Dated: 31st August, 2023

**Dear Chief Secretary,**

As you are aware, India is a signatory to the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals and is committed to achieve the 17 Goals and 169 Targets for people-centric and holistic development with active involvement of Central Ministries/ Departments, NITI Aayog, State Government, UN Agencies and Panchayati Raj Institutions (PRIs) through strategic planning and approaches with the motto of Leaving No One Behind through 'Whole of Government' and 'Whole of Society' approach.

2. Panchayats being pivotal in achieving the SDGs in rural areas, Ministry of Panchayati Raj has initiated a thematic approach by aggregating 17 SDGs into 9 broad themes to localize the SDGs at grass-roots level through Panchayats.

3. While SDGs India Index developed by NITI Aayog measures SDGs progress across States using select indicators from the National Indicator Framework, till recently no mechanism had been in place for measuring the progress of Localized SDGs (LSDGs) made by the Panchayats.

4. The Ministry of Panchayati Raj with cooperation from all the concerned Ministries has, developed the mechanism for measuring the progress of Panchayats in achieving the LSDGs along 9 individual themes as well as computing the composite progress as an aggregate of 9 themes. This can now be done using the mechanism of computing Panchayat Development Index (PDI) for measuring thematic progress and holistic development in rural areas. The PDI Report is available on the Ministry's Website at URL: https://panchayat.gov.in/pdi-committee-report-2023/.

5. PDI will assess the performance of Panchayats on measurable indicators of Local Indicator Framework (LIF) and help the Panchayat in evidence-based planning for outcome-oriented development goals at Panchayat & set their local targets in achieving the LSDGs.

contd...2/-

6. PDI will also play a significant role in monitoring the incremental progress through the scores achieved by the Panchayat and grade them based on their performance towards the achievement of LSDGs. PDI is the report card of progress of Panchayats and scales up the visibility of development at the grassroots.

7. Since, PDI is a data intensive work, quality data is the foundation for preparation of the Baseline Report and its computation. The entire computation exercise requires the collection and maintenance of data sets. Gram Panchayat and Field Offices/ Institutions of the line department maintain village-level data collected by the frontline workers of the line departments in different registers/formats. Thus, there is a heavy reliance on data from multiple sources due to the wide range of local indicators required to cover the LSDGs. Perhaps, the role of Line Ministries/Departments is of utmost importance in data sharing, and checking its accuracy and reliability.

8. The baseline report of the PDI will serve as a benchmark to support the Ministry/Department in monitoring and evaluating the progress made in achieving the concerned towards targets of the SDGs over successive years. The Baseline Report will also help the Panchayat to see the current status of local indicators of themes, map the progress and prepare local action to achieve local targets with support from line departments and other key stakeholders. Thus, PDI will pave the path for evidence-based local planning & preparation of comprehensive and inclusive Panchayat Development Plan (PDP) by converging different resources through structured institutional mechanisms involving all stakeholders.

9. Indeed, NIC MoPR has also developed a database management application and PDI Portal with URL: www.pdi.gov.in for capturing the data points related to health, education, and women development, agriculture, animal husbandry, accounts, land, SHG, rural housing, employment and infrastructure etc., from different sources of field offices of the line department on each indicator. The facilitator appointed by Block at the GP level will visit the field offices/institutions of the line departments and collect the necessary information on each data point in prescribed formats from the frontline officials of the key line departments which will then be entered into the PDI Portal for further validation and processing at the GP, Block, District and State level. Baseline Report of the PDI 2023-24 will be based on the data as of 31st March, 2023.

10. We believe that the active participation of the frontline workers & key officials of the line departments would be essential in preparation of the baseline report of PDI, which would help to develop a data eco system for reviewing & monitoring the progress of SDGs in rural area.

11. It would also be helpful if the States/UTs organise consultative write-shop/ workshops with participation from the nodal line departments at the earliest for creating enabling environment and developing structured mechanism& approaches for ease of data collection and validation process.

contd...3/-

12. Necessary directions may, therefore, be issued to the line departments and Department of Statistics to ensure participation and collaboration of their frontline workers and officials in State level write-shops/workshops, data collection and data validation for setting up an institutional framework to drive the 2030 Agenda and drilling the localisation of SDGs at the grassroots level. Department of Statistics and their team of trained officers may be assigned the task to ensure quality of data.

With best wishes,

Yours sincerely,

**(Vini Mahajan)**
**Department of Drinking Water & Sanitation**
**Ministry of Jal Shakti**

**(Indevar Pandey)**
**Ministry of Women & Child Development**

**(Sunil Kumar)**
**Ministry of Panchayati Raj**

**(Sanjay Kumar)**
**Department of School Education & Literacy,**
**Ministry of Education**

**(Alka Upadhyay)**
**Department of Animal Husbandry & Dairying**
**Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying**

**(Sanjeev Chopra)**
**Department of Food & Public Distribution,**
**Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution**

**(Manoj Ahuja)**
**Department of Agriculture and Farmers Welfare**
**Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**

**(Sudhansh Pant)**
**Department of Health & Family Welfare**
**Ministry of Health & Family Welfare**

**(Shailesh Kumar Singh)**
**Department of Rural Development**
**Ministry of Rural Development**

To,

**The Chief Secretaries,**
All States/UTs

Copy to: Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, All Related Departments, All States/ UTs

संलग्नक – 3

451
29/9/15

संख्याः 2618 / 33–3–2015–10जीआई / 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2015

**विषयः ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मार्ग निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 11015/123/2015–पी0वी0, दिनांक 28 मई, 2015 एवं 30.07.2015 के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्रान्तर्गत पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने एवं 14 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0, स्वयं के संसाधनों इत्यादि का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) कर ग्राम पंचायतों में संसाधनों की उपलब्धता बेहतर करने पर बल दिया गया है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 'क' में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी नियोजन द्वारा ग्राम पंचायत की क्षमताओं एवं संसाधनों का आकलन कर उनकी आवश्यकताओं के चिन्हीकरण एवं अनुरूप आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना वांछित है, जिससे कि ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से पंचायतों का सर्वांगीण विकास को लक्षित किया जा सके। सहभागी नियोजन से ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के रूप में न केवल विकसित होगा बल्कि विभिन्न स्रोतों/सेक्टर के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का स्थानीय उत्प्रेरण एवं क्रियान्वयन कर नागरिकों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने का साधन बन सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2015–16 में रू. 3862.60 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के सम्पादन हेतु

Jaigovind Pandey

(3192)
उप निदेशक (पं0)(एस0)

निदेशक
29/9/15

उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तान्तरित की जानी है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा ग्राम पंचायत में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा की गई है, ताकि मूलभूत सुविधाओं पर प्रभावी एवं सरल रूप में पहुँच बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार परफारमेन्स ग्रान्ट पाने के लिए अर्हता हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्वयं की आय को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए पंचायतों को स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाने के अन्य प्रभावी रास्ते तलाशने होंगे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है।

1— ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता—

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने पर बल नहीं दिया जा रहा है एवं न ही पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। सहयोगी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत मात्र विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही है, अतः पंचायत स्तर पर परस्पर समन्वय के अभाव में पंचायतों के समग्र विकास की अवधारणा की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों का न केवल विजन स्पष्ट होगा अपितु समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी तैयार होगा जिससे पंचायतों का सार्वांगीण विकास हो सके। अतः यह आवश्यक हो गया है कि पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाये, जोकि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) पर आधारित हो।

2— ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य—

1. ग्राम पंचायत का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अवसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
2. निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण से आधार्य समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
4. सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा—निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा का प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए

Jaigovind Pandey

अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

3— योजना के महत्वपूर्ण घटक—

73 संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित 1994 के अन्तर्गत उल्लिखित ग्राम पंचायतों को गिन्न अ. रभूत कार्यों/उत्तरदायित्वों में से निम्नलिखित कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधान किया गया है :—

1. ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख--रखाव।
2. ..बी उन्मूलन कार्यक्रम।
3. ..सिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों .. मध्यान्ह का भोजन
4. ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख—रखाव।
5. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6. ..ी 'द' के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन।
8. ..द्य एवं नागरिक आपूर्ति—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
9. पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसम्पत्तियां का रख- रखाव।
10. ग्रामीण पुस्तकालय।
11. ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12. ग्रामीण आवास योजनायें—लाभार्थियों का चयन।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट .. प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन।
14. ..| सिंचाई लाभार्थियों का चयन।
15. ..र भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का .. -रखाव।

ग्राम पंचायत विकास योजना के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जायेगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात् ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय की स्थापना, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों का अनुरक्षण तथा आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जायेगा। समस्त

Jaigovind Pandey

कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षे. में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं अन्ततः मानव विकास सूचकांक भी बेहतर हो सकेगा।

4— **ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु संसाधनों का निर्धारण—**

ग्राम पंचायत विकास योजना में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से रहेगा :-

(क) स्वय के स्रोत / संसाधन (कर आदि)

(ख) केन्द्रीय अनुदान

(ग) राज्य अनुदान

(घ) स्वैच्छिक अनुदान

(ङ) केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाएं।

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय तथा राज्य की योजना के वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभिसरण किया जाएगा:-

1. केन्द्रीय वित्त आयोग
2. राज्य वित्त आयोग
3. मनरेगा
4. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)
5. अत्येष्टि स्थलों का विकास
6. पंचायत भवनों का निर्माण
7. एन0आर0एल0एम0

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के कर्मचारी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में अपेक्षित योगदान देंगे एवं उपरोक्त के संदर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

5— **ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया**

क) **जन सन्मुखीकरण:—** योजना बनाये जाने के लिए जन सामान्य की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं सूचना प्रसारण माध्यमों से उपयुक्त वातावरण का निर्माण एवं जन सन्मुखीकरण के माध्यम से जन सहभागिता किया जाना अत्यंत आवश्यक होगा।

ख) संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन– सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनकी योजना बनाये जाने में भूमिका होगी, को पंचायती राज विभाग द्वारा संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन किया जायेगा।

ग) प्रारम्भ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन– प्रारम्भिक स्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाये जाने की आवश्यकता, ग्राम पंचायत के पास संसाधन की उपलब्धता एवं पारिस्थितिक विश्लेषण इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को बताया जाना होगा।

घ) पारिस्थितिक विशलेषण– पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े के साथ-साथ प्रारम्भिक आंकड़ों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पी0आर0ए0 टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े एकत्रित कर पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना होगा। पारिस्थितिक विश्लेषण की ड्राफ्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष विमर्श/चर्चा के लिए रखी जायेगी साथ ही साथ यह रिपोर्ट स्वयं सहायता समूहों, विशेषज्ञों इत्यादि को भी सलाह हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है इसके उपरान्त पारिस्थितिक विशलेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा।

ङ) कार्यों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना– पारिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम सभा को पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी जायेगी इसके उपरान्त जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विशलेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों का प्राथमिकीकरण किया जायेगा।

कार्यों का प्राथमिकीकरण के उपरान्त ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यों का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

च) ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना– परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। ग्राम पंचायतें पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

Jaigovind Pandey

छ) ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना— ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

6) ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति—

ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन एवं समन्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वयन समिति होगी, जोकि ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी। समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। समिति में निम्न सदस्य होंगे

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 3. | मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 4. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 5. | जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 6. | परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण | सदस्य |
| 7 | जिला विकलांग कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 8. | जिला अल्पसंख्यक अधिकारी | सदस्य |
| 9. | जिला विकास अधिकारी | सदस्य |
| 10. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 11. | अपर मुख्य अधिकारी | सदस्य |
| 12. | अधिशासी अभियन्ता, जल निगम | सदस्य |
| 13. | अधिशासी अभियन्ता, विद्युत | सदस्य |
| 14. | अधिशासी अभियन्ता, सिचाई | सदस्य |
| 15. | अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा | सदस्य |
| 16. | उपनिदेशक, कृषि प्रसार | सदस्य |
| 17. | जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी | सदस्य |
| 18. | मुख्य पशु चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 19 | जिला पंचायत राज अधिकारी / सचिव | सदस्य |

Jaigovind Pandey

20. डी0पी0आर0ओ0/जिलाधिकारी द्वारा दो नामित प्रधान एवं एक ब्लाक प्रमुख सदस्य।

7) ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप–क्लस्टर स्तर पर

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या की तुलना में पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता में काफी अन्तर होने के कारण 10–10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर तैयार किया जायेगा, प्रत्येक क्लस्टर का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसकी देखरेख में क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी।

8) परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये परियोजना/कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मार्गनिर्देशिका में अध्याय–7 'तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के अनुसार ली जायेगी।

9) योजना बनाये जाने की प्रकिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड किया जायेगा तथा एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना होगा।

योजना बनाये जाने की प्रक्रिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत, मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जायेगा।

10) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को परिस्थितिकी विश्लेषण, कार्यशाला, क्षमता संवर्धन इत्यादि कार्य किया जाना होगा अतः इस हेतु वांछित धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में भी धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने में सहायता होगी। इस धनराशि के व्यय के संबन्ध में पंचायती राज विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा।

Jaigovind Pandey

कृपया दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका

भवदीय,
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-- /33-3/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु

1 श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12 महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

Jaigovind Pandey

संख्या: 625/–33–3–2016–10 जी.आई./2015

संलग्नक: 4

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2016

विषय: ग्राम पंचायत विकास योजना में विकास खण्ड स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शा० सं० 3215/33–3–2015–10 जी.आई./2015, लखनऊ, दिनांक 11 दिसम्बर 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से उ०प्र० में ग्राम पंचायत विकास योजना के संचालन हेतु क्रियात्मक निर्देश जारी किये गए हैं।

इसी क्रम में दिनांक 26.02.2016 को श्री एस०एम० विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी संज्ञान में लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के 75 जिलों से ग्राम पंचायत विकास योजना(जी०पी०डी०पी०) के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा की गई थी। जिसमें कतिपय जनपदों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश की अपेक्षा की गई है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त से निर्गत शा० से जनपद स्तर पर "जिलास्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति" के गठन एवं कार्यों के सम्बंध में आदेश जारी किया गए हैं (पृष्ठ 5, संलग्नक 1)। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1. विकास खण्ड स्तर पर योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) की अध्यक्षता में "विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति" होगी, जोकि विकास खण्ड में ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी।(विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य संलग्नक 1–क पर वर्णित हैं।) समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक माह किया जाएगा एवं समिति में निम्न सदस्य होंगे:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | खण्ड विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य | सदस्य |
| 3 | चिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग | सदस्य |
| 4 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. | सदस्य |
| 5. | खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 6. | अवर अभियंता, एम०आई० | सदस्य |
| 7. | अवर अभियंता, आर०ई०डी० | सदस्य |
| 8. | अवर अभियंता, जलनिगम | सदस्य |

| | |
|---|---|
| 10. सहायक विकास अधिकारी (प०जी०) | सदस्य |
| 11. सहायक विकास अधिकारी (कोऑपरेटिव) | सदस्य |
| 12. सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) | सदस्य |
| 13. सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) | सदस्य |
| 14. सहायक विकास अधिकारी (महिला) | सदस्य |
| 15. ब्लॉक ऑरगेनाइजर, पी०आर०डी० | सदस्य |
| 16. ए०पी०ओ० एन०आर०ई०जी०ए० | सदस्य |
| 17. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित ग्राम प्रधान | सदस्य |

2. उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या 2 पर वर्णित प्रस्तर संख्या 2 में 10 ग्राम पंचायतों पर 1 कलस्टर का निर्माण एवं योजना निर्माण के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन में न्याय पंचायत की विद्यमान व्यवस्था को उपयोगी एवं उपयुक्त मानते हुए कलस्टर के गठन में न्याय पंचायत को सम्मिलित किया जाता है अर्थात कलस्टर स्तर पर न्याय पंचायत को ही कलस्टर मानते हुए उस पर विकास खण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को चार्ज ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तर पर अधिकारियों की उपलब्धता को देखते हुए चार्ज ऑफिसर को नामित करने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

इस प्रकार से उक्त निर्गत सम्बन्धित आदेशों के अनुरूप जनपद, ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

पंचायती राज अनुभाग-3 625/1/2016 तद दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 श्री एस०एम०विजयानंद, सचिव, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन
4 प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उ०प्र०शासन।
5 प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र०शासन।
6 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7 प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन
8 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
9 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन।
10 प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०।
11 प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन

12. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
17. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
18. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
21. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
22. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

( महेन्द्र कुमार )
विशेष सचिव।

## विकासखण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य

1. विकासखण्ड में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित शासकीय आदेशों/प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना।
2. ब्लॉक स्तर पर अन्तर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करते हुए योजना क्रियान्वित कराना।
3. ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न योजनाओं विशेषतः मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित कराना।
4. विकास खण्ड स्तर पर गाइडलाइन के अनुरूप ग्राम पंचायतों के निर्मित क्लस्टर का सीमांकन करना।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर वातावरण निर्माण सम्बन्धी गतिविधि तथा नियोजन योजना के मध्य समन्वयन स्थापित कराना।
6. आवश्यकता अनुरूप कार्यक्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सम्बोधित करना, समस्या का निवारण और स्पष्टता प्रदान करना।
7. ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनकी स्पष्ट जिम्मेदारियाँ तय करना।
8. सभी संबंधितों का क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन स्थापित करना।
9. राज्य/जनपद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी ग्राम पंचायतों के सभी सहायक आंकड़ों (Secondary Data) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. तकनीकी मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन के समय से समन्वयन सुनिश्चित करना।
11. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का विकास खण्ड स्तर से अनुश्रवण व मूल्यांकन करना।
12. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
13. ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, उससे जुड़े मुद्दे तथा नवीनतम प्रगति को जनपद स्तरीय समिति को रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करना।

संख्या: 661/33-3-2016-10 जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2015

विषय- ग्राम पंचायत विकास योजना में विकास खण्ड स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-625/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 09.03.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास खण्ड स्तर पर योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) की अध्यक्षता में 'विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति' का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में क्रमांक-9 पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सदस्य सचिव नामित किया जाना था जो त्रुटिवश उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 में छूट गया था। अतः खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) की अध्यक्षता में विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के गठन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2010 के क्रमांक-9 पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सदस्य सचिव नामित किया जाता है।

उक्त शासनादेश संख्या-625/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 09.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

पंचायती राज अनुभाग-3 /1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. [illegible], सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0.शासन।
15.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग उ0प्र0।
17.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
18.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
19.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
20.समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
23. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
24. समस्त, सहायक विकास अधिकारी (पं0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

( महेन्द्र कुमार )
विशेष सचिव।

9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।

10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।

11.प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

12.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।

13.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

14.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

15.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

16.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।

17.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।

18.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

19.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

20.समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

23.समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

24.समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)

विशेष सचिव।

# विभागवार दायित्व एवं समय–सीमा संलग्नक–5

| क्र. | कार्य | समय–सीमा | दायित्व |
|---|---|---|---|
| **राज्य:** | | | |
| 1 | राज्य स्तर पर गठित समिति की बैठक/राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम सर्वप्रथम समस्त लाइन डिपार्टमेंट का उन्मुखीकरण | 22–25 सितम्बर, 2023 के मध्य | पंचायती राज विभाग |
| 2 | राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के पी.डी.आई. नोडल अधिकारी नामित किया जाना। | 22–25 सितम्बर, 2023 के मध्य | समस्त राज्यस्तरीय नोडल विभाग |
| 3 | विभागवार इंडीकेटर की मैपिंग का कार्य। | 22–25 सितम्बर, 2023 के मध्य | समस्त राज्यस्तरीय नोडल विभाग |
| 4 | लाइन डिपार्टमेंट द्वारा विभगीय निर्देश निर्गत किया जाना। | 30 सितम्बर, 2023 तक | समस्त राज्यस्तरीय नोडल विभाग |
| 5 | जनपद/विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त हितग्राहियों का प्रशिक्षण। | 15 अक्तूबर, 2023 तक | पंचायती राज विभाग |
| 6 | पी.डी.आई. पोर्टल पर अंकित किए गए डाटा का राज्य स्तर सत्यापन का कार्य एवं फ्रीजिंग का कार्य। (राज्य स्तर पर नियोजन विभाग डाटा सत्यापन हेतु उत्तरदायी एवं पंचायती राज डाटा फ्रीजिंग हेतु उत्तरदायी विभाग होगा) | 31 अक्तूबर, 2023 तक | पंचायती राज विभाग एवं नियोजन विभाग |
| 7 | जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी गतिविधियॉं। | आवश्यकतानुसार | पंचायती राज विभाग |
| **जनपद:** | | | |
| 1 | जनपद स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन। | 5 अक्तूबर, 2023 तक | समिति पदाधिकारियों द्वारा |
| 2 | विभिन्न विभागों द्वारा जनपद एवं खण्ड स्तरीय पी.डी.आई. नोडल अधिकारी नामित कर विभागीय निर्देश दिया जाना। | 5 अक्तूबर, 2023 तक | समस्त जनपद स्तरीय नोडल विभाग |
| 3 | जनपद/विकासखण्ड स्तर पर कार्यशाला/ उन्मुखीकरण प्रशिक्षण व मीडिया कवरेज। | 10 अक्तूबर, 2023 तक | पंचायती राज विभाग एवं जनपद स्तरीय समिति |
| 4 | विकासखण्ड स्तर से प्राप्त डाटा का सत्यापन | 25 अक्तूबर, | जनपद स्तर पर |

| क्र. | कार्य | समय–सीमा | दायित्व |
|---|---|---|---|
| | एवं फ्रीजिंग का कार्य। | 2023 तक | अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा डाटा सत्यापन एवं मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् फ्रीजिंग। |
| **विकासखण्ड:** | | | |
| 1 | खण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन। | 5 अक्तूबर, 2023 तक | समिति पदाधिकारियों द्वारा |
| 2 | विभिन्न विभागों द्वारा पी.डी.आई. नोडल अधिकारी नामित कर विभागीय निर्देश दिया जाना। | 5 अक्तूबर, 2023 तक | समस्त खण्ड स्तरीय नोडल विभाग |
| 3 | फैसीलिटेटर के चयन में सहयोग एवं अनुश्रवण। | 10 अक्तूबर, 2023 तक | खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) |
| 4 | विकासखण्ड की पंचायतों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण व मीडिया कवरेज। | 10 अक्तूबर, 2023 तक | पंचायती राज विभाग एवं विकास खण्डस्तरीय समिति |
| 5 | ग्राम पंचायत से प्राप्त डाटा का सत्यापन एवं फ्रीजिंग का कार्य। | 20 अक्तूबर, 2023 तक | खण्ड विकास अधिकारी द्वारा डाटा सत्यापन फ्रीजिंग। |